

फर्द अहकाम

राज० सरकार

बनाम

मोहनलाल

यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० 371/2022

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.04.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पेश करने पर पत्रावली आज की पेश में ली गयी। सरकार पैरोकार उपरिधत। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा०दी० इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजीयात में गैर कृषि कार्य हेतु काम ली गयी भूमि का कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-परिवर्तन करा दिया गया है। शेष भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए की पालना कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र मय आदेश पेश कर निवेदन है कि प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।</p> <p>बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपनी आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के कारण अमल में लायी गयी थी। परन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा कर विवादीत आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया। इसलिए प्रकरण को खारिज फरमाया जावे।</p> <p>बहस अधिवक्ता प्रतिवादी पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्राधिकृत अधिकारी (अधिशायी अधिकारी) नगर पालिका मण्डल जोबनेर के आदेश क्रमांक 22-25 दिनांक 03.04.2025 का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी (अधिशायी अधिकारी) नगर पालिका मण्डल जोबनेर के आदेश क्रमांक 22-25 दिनांक 03.04.2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी की सम्पूर्ण आराजी खसरा संख्या 2290/1748 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम डेहरा में से 2126.63 वर्ग मीटर का कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

संपरिवर्तन कस लिया गया है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा विवाचनार्थ आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही अमल में लाने का कारण कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करना ही था। चूंकि अब उक्त भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है तो उक्त कार्यवाही औचित्यहीन हो चुकी है। इसलिए अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाचक प्रकरण का निरतारण किये स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 वाचक शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व वेदखली करने हेतु खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

DSG
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर